अध्याय I
प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन, चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों और स्वायत्तशाषी निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बन्धित है।

अनुपालना लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों से सम्बन्धित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों की अनुपालना की जा रही है। दूसरी ओर, निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालना लेखापरीक्षा करने के अलावा यह भी जाँच करती है कि क्या कार्यक्रम या गतिविधि के उद्देश्यों को मितव्ययतापूर्वक, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया है।

प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्व परिणामों को राज्य विधान सभा के समक्ष लाना होता है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण स्तर, लेनदेनों की प्रकृति, मात्रा एवं महत्व के अनुसार होना चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों द्वारा कार्यपालक को सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु योग्य बनाने एवं साथ ही नीतियां एवं निर्देश बनाने, जो संगठन के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु आवश्यक है एवं जो अच्छे शासन में भागीदारी करते हैं, की प्रत्याशा की जाती है।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं आकार की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां, लेनदेनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों एवं विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही के संकलन को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय II में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, कृषि विभाग के कार्यक्रमों/गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर निष्कर्ष शामिल है। अध्याय III में सरकारी विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए आक्षेप शामिल है।

1.2 लेखापरीक्षा का खाका

अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों, जो कि आयुक्तों/उपशासन सचिवों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोग किये जाते है, द्वारा नियंत्रित 19 आर्थिक क्षेत्र के विभागों एवं उनके स्वायत्तशाषी निकायों की लेखापरीक्षा, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान किये गये व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका 1 मे दी गयी है।

तालिका 1: व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व व्यय			
सामान्य सेवायें	18,709	20,496	23,339
समाजिक सेवायें	21,928	25,293	31,486
आर्थिक सेवायें	12,744	17,408	20,436
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	273	265	249
योग	**53,654**	**63,462**	**75,510**
पूँजीगत एवं अन्य व्यय			
पूँजीगत परिव्यय	7,119	10,684	13,665
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,109	2,412	811
लोक ऋण की अदायगी	3,490	4,707	4,116
आकस्मिकता निधि	–	–	–
लोक लेखा संवितरण	1,22,320	1,50,175	1,05,605
योग	**1,34,038**	**1,67,978**	**1,24,197**
कुल योग	**1,87,692**	**2,31,440**	**1,99,707**

स्त्रोत: संबंधित वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गयी है। महालेखाकार (आर्थिक एवं

राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार के आर्थिक क्षेत्र के विभागों, स्वायत्तशाषी निकायों, प्राधिकरण एवं राज्य निगमों के व्ययों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम की धारा 13[1],14[2],15[3],17[4],19[5] और 20[6] के अन्तर्गत की जाती है। निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के लिये सिद्धान्त एवं विधियां, सीएजी द्वारा जारी नियम पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट की गई हैं।

1.4 कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान का संगठनात्मक ढांचा

सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशाषी निकायों को शामिल करते हुये राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा तीन समूहों द्वारा संचालित करता है।

1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशाषी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के आंकलन से होती है। जोखिम आंकलन, व्यय, गतिविधियों की आलोच्यता, वित्तीय शक्तियों के सौंपने

1 (i)राज्य की समेकित निधि से सभी व्ययों (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखाओं से संबन्धित राज्य के सभी लेनदेनो एवं (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ एवं हानि खातों, तुलन-पत्रों एवं अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

2 (i)राज्य की समेकित निधि में से अनुदान या ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों तथा (ii) किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों, जहां ऐसे निकाय या प्राधिकरण को राज्य की समेकित निधि से ऋण एवं अनुदान एक वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से कम नही हो, की लेखापरीक्षा।

3 भारत या राज्य की समेकित निधि में से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी प्राधिकरण या निकाय को दिये गये ऋण या अनुदान की लेखापरीक्षा, जिसके द्वारा कार्यविधि की संवीक्षा हेतु स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण स्वयं को संतुष्ट करता है कि उन शर्तो की पूर्ति कर ली गयी है जिनके अंतर्गत ऐसे अनुदान या ऋण दिये गये थे।

4 भण्डार एवं स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

5 राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य विधानसभा के द्वारा बनाये गये नियम के अधीन स्थापित निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा।

6 राज्यपाल के अनुरोध पर किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा, उन शर्तो एवं निबंधनों पर, जिन पर सीएजी एवं राज्य सरकार सहमत हो।

का स्तर, समग्र आंतरिक नियन्त्रणों का आंकलन एवं भागीदारों की चिंताओं पर आधारित है। इस प्रक्रिया में गत लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते है। इकाइयों से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता हैं या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर किये गये मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता हैं।

1.6 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों से लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों एवं साथ ही आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता, जो कि कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं विभागों के कार्य को प्रभावित करती है, को प्रतिवेदित किया है। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया जाता है।

1.6.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन के अध्याय II में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है। निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा नीचे की गयी है:

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर स्थापित किया (नवम्बर 1999)। विश्वविद्यालय के तीन प्रमुख कार्य है यथा शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा। अनुसंधान गतिविधियां राजस्थान सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं अन्य एजेन्सियों से वित्त पोषित हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केन्द्रों को 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करता है।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर ने भावी रणनीति की रूपरेखा आरेखित करते हुए विजन डॉक्यूमेन्ट तैयार किया। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय की गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए पंचवर्षीय योजना भी तैयार की गयी। विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए वार्षिक योजनाऐं भी तैयार की गयी थी। तथापि, मार्गदर्शन हेतु अनुशंषाओं के साथ-साथ

विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

- जब वार्षिक योजनाऐं तैयार की गई तब प्राथमिकताओं, समयसीमा और परिणामों के आंकलन के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश नहीं थे। यह भी पाया गया कि अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा निदेशालयों द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन में भी विलम्ब हुआ था।

  महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायें कि वार्षिक योजनाऐं समय पर अनुमोदित हो ताकि लक्ष्य एवं अन्य परिणामों के आंकलन *से कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं अन्य क्षेत्रीय इकाइयों को समय पर अवगत कराया जा सके तथा विभिन्न गतिविधियों की प्रगति का सुगमतापूर्वक अनुश्रवण किया जाये।*

- अनेक मामलों में, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन पुरानी किस्मों के बीजों का उपयोग करते हुए पानी एवं मिट्टी के समुचित विश्लेषण के बिना निष्पादित किये गये। अनेक कार्यक्रमों के तहत् अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों की कमी थी।

  महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायें कि कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा पानी, मिट्टी एवं अन्य आवश्यक विश्लेषण के बाद फसलों की नवीनतम किस्मों में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन सम्पादित किये जायें। दलहनों, तिलहनों, खाद्यानों आदि में कम हुए अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों का भी विश्लेषण किया जायें तथा सुधारात्मक उपाय करें ताकि विस्तार गतिविधियों का लाभ अधिकतम किसानों को मिल सके।

- कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा फसल उत्पादन, पशु संवर्धन एवं बागवानी में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। तथापि, विभिन्न ऑन-केम्पस, ऑफ-केम्पस, व्यवसायिक एवं राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कम किया गया।

  विश्वविद्यालय, अधिकतम कौशल विकास के लिए प्रशिक्षणार्थियों की सहभागिता में सुधार हेतु उचित उपचारात्मक उपायों को प्रेरित करें।

- बांसवाड़ा में कपास की उत्पादकता राज्य की उत्पादकता से कम थी, यद्यपि अखिल भारतीय समन्वित कपास उन्नत परियोजना वर्ष 1999 से संचालित थी। इसी प्रकार, ज्वार और मूंगफली पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के सम्बन्ध में राजस्थान कृषि महाविद्यालय द्वारा संभावित औसत उत्पादन से राजस्थान कृषि महाविद्यालय फार्म पर बीजों की उत्पादकता बहुत कम थी। विभिन्न फसलों में प्रजनक बीज उत्पादन में भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध कमी थी।

यह अनुशंषा की जाती है कि विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं की प्रगति एवं प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु अनुसंधान निदेशक द्वारा कठोर तन्त्र विकसित किया जायें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उत्पादन के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये नाभकीय एवं प्रजनक बीजों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायें।

(अनुच्छेद 2.1)

1.6.2 अनुपालना लेखापरीक्षा में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेप

रणथम्भौर एवं सरिस्का बाघ रिजर्वस् के संवेदनशील बाघ आवास स्थलों में स्थित ग्रामों का पुन:स्थापन

केन्द्र प्रायोजित योजना 'बाघ परियोजना' के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में, बाघ आवास स्थलों में रहने वाले लोगों को विस्थापन पैकेज के तहत् रणथम्भौर और सरिस्का, दो बाघ रिजर्व समाविष्ट किये गये थे। पैकेज में वित्तीय सहायता के साथ-साथ बाघ रिजर्वस् से ग्रामों का विस्थापन और पुनर्वास सम्मिलित था। विस्थापन स्वैच्छिक था। 20 ग्रामों की अनुमोदित विस्थापन योजना के विरूद्ध, केवल छः ग्रामों का पूर्णतया विस्थापन किया गया था और शेष 14 ग्राम विस्थापन की प्रक्रिया में थे। यद्यपि जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति ने निर्धारित किया था कि नकद पैकेज का चयन करने वाले परिवारों को प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि से एक से दो महिनों के भीतर अपने परिसर खाली करने चाहिए लेकिन 115 परिवार, जिन्होंने भुगतान प्राप्त कर लिया था, अभी तक बाघ रिजर्व में निवास कर रहे थे। योजना के तहत् पात्रता के लिए परिवार के वयस्क पुत्र की पात्रता आयु के निर्धारण के लिए व्याख्या में मतभेद होने के कारण विस्थापन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यह भी देखा गया कि विस्थापित परिवारों को निर्धारित से कम कृषि भूमि उपलब्ध करायी गयी जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। सरिस्का रिजर्व में विस्थापन पैकेज हेतु पात्र परिवारों की पहचान के लिए आधार रेखा सर्वे तिथि की जगह सीमा रेखा तिथि स्वीकार करने का लिया गया निर्णय राष्ट्रीय पुनर्वास और पुन:स्थापन नीति के प्रावधानों के विपरीत था।

यह सिफारिश की जाती है कि विस्थापन प्रक्रिया में प्रगति लाने हेतु निगरानी और सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। पैकेज के लिए पात्रता हेतु परिवार की पहचान की तिथि तथा वयस्क पुत्र की पात्रता आयु के निर्धारण में एकरूपता अपनायी जानी चाहिए ताकि पात्र परिवारों/व्यक्तियों के बीच में असन्तोष पैदा न हो।

(अनुच्छेद 3.1)

विज्ञान एवं समाज प्रभाग द्वारा की गयी प्रमुख गतिविधियां

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान एवं समाज प्रभाग, विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से राज्य के समग्र विकास के लिये प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोग प्रदान करता है। यद्यपि, पांच साल की योजना में गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गयी थी, लेकिन योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई रोडमैप या रणनीति तैयार नहीं की गयी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरु किये गये पाइलेट/विशिष्ट परियोजना पर ₹ 11.27 करोड़ का व्यय किया था जिसके अर्न्तगत बायो-गैस सवंर्धन संयंत्र एवं रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र की स्थापना सम्मिलित थी। परियोजना के क्रियान्वयन में कमियां रही जैसे निष्पादन की धीमी गति एवं निधियों का अनुपयोग। इसके अलावा, विलवणीकरण संयंत्रों से बाहर निकले रसायन युक्त अनुपयुक्त पानी को शोधन प्रक्रिया के माध्यम से निकालने के बजाय सीधे ही परित्यक्त कुओं में डाला जा रहा था जिससे भू-जल पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है।

(अनुच्छेद 3.2)

राज्य सड़क निधि की उपयोगिता

राज्य सड़कों के विकास एवं राज्य सड़क विकास की परियोजनाओं के सम्बन्ध में निधियों के वितरण हेतु राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत राज्य सड़क विकास निधि का गठन किया गया (सितम्बर 2004)। राज्य सड़क विकास निधि प्रबन्धन बोर्ड जनवरी 2009 से अभी तक कार्यशील नही था। राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को बोर्ड की सिफारिश के बिना राशि जारी हो रही थी। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा राज्य सड़क निधि में राशि ₹ 32.76 करोड़ कम जमा कराये थे। रेलवे द्वारा रोड ओवर ब्रिज की हिस्सा राशि का पुनर्भरण नही किया गया एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पूर्ण कर दिये कार्यो की अवशेष राशि वापिस नही की थी। बोर्ड के कार्यशील रहने के अभाव में राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किये गये कार्यो का अनुश्रवण नहीं किया गया तथा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा किये गये कार्यो को निश्चित समय में एवं निर्धारित गुणवत्ता से पूर्ण किया गया था।

(अनुच्छेद 3.3)

लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली

पानी के समुचित उपयोग करने की विधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को समझते हुए राज्य सरकार ने निश्चित किया (फरवरी 2007) कि किसानों की

आर्थिक स्थिति सुधारने एवं क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना बोर्ड को इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना की लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली को अपनाने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। दो लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली का कार्य पूर्ण हो चुका था परन्तु चार अन्य लिफ्ट योजनाओं में राशि ₹ 34.67 करोड़ का व्यय हो जाने के बावजूद कार्य अपूर्ण रहने से सिंचाई सुविधाऐं प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। मूल संवेदक, जिसने कार्य अपूर्ण छोड दिया था, से अतिरिक्त दायित्व की राशि ₹ 2.63 करोड़ की भी वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 3.4)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के कार्य पर ₹ 2.91 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.5)

लेखापरीक्षा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोष से ₹ 6.73 करोड़ का अतिरिक्त कार्यो पर अनियमित उपयोग ध्यान में आया।

(अनुच्छेद 3.6)

मिटिगेटिव मेजर्स के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो की कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार नहीं करने के कारण ₹ 24.67 करोड़ के कोषों का अनुपयोगी रहना।

(अनुच्छेद 3.7)

1.7 निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को, लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर प्रतिक्रिया देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की सम्भावना के मध्यनजर, जो कि राजस्थान विधान सभा में उपस्थापित किया जाना है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जावें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/विषयक लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठक आयोजित करें। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयक लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों को प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को भेजे थे।

प्रारूप अनुच्छेदों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सभी उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है। एक प्रारूप अनुच्छेद के प्रकरण में उत्तर प्राप्त नही हुआ था।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/समीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये है, पर एक्शन टेकन नोटस्, प्रतिवेदन के विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कराकर जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर बकाया एक्शन टेकन नोटस् की समीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित विभागों से कोई एक्शन टेकन नोटस् बकाया नहीं थे (फरवरी 2015)।

1.9 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर धीमी प्रतिक्रिया

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 327(1) के अनुसार, विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि अंकेक्षण के बाद एक से तीन वर्षो के मध्य है। निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों की अनुपालना, अभिलेखों की निर्धारित प्रतिधारण अवधि में नहीं करने से भविष्य में उनके निपटारे की संभावना अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण क्षीण हो जाती है।

2013-14 तक की अवधि में जारी एवं निस्तारित तथा 31 मार्च 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दशायी गई है:

तालिका 2: 31 मार्च 2014 को बकाया अनुच्छेदों को स्थिति

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		जोड़े गये		निस्तारित		बकाया	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद
2007-08 तक	1197	3005	-	-	21	44	253	683
2008-09	278	919	-	-	3	16	275	903
2009-10	330	1228	-	-	8	40	322	1188
2010-11	342	1539	-	-	6	90	336	1449
2011-12	363	1875	-	-	4	83	359	1792
2012-13	238	1404	-	-	2	81	236	1323
2013-14 (सितम्बर 2013 तक)	82	584	97	750	3	45	176	1289
योग	**2830**	**10554**	**97**	**750**	**47**	**399**	**2880**	**10905**

यह स्थिति दर्शाती है कि 1982-83 से 2013-14 (सितम्बर 2013 तक) जारी 2880 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 10905 अनुच्छेद निस्तारण के लिए बकाया थे जो अनुच्छेदों के विरूद्ध सरकारी विभागों की धीमी प्रतिक्रिया का सूचक है। वन विभाग की विभिन्न इकाइयों को जारी 358 निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 31 मार्च 2014 को 1262 अनुच्छेद बकाया थे।

लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर में वन विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर देने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित कर दिया गया है। बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण के लिए एक अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक को नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है।

बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह में तथा उस पर लेखापरीक्षा की आगे की टिप्पणियों के उत्तर एक पखवाड़े में भेजने के अनुदेश जारी किये थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में लेखापरीक्षा से सम्बन्धित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय लेखापरीक्षा समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना अभिप्रेत था। नवीनतम अनुदेश जनवरी 2010 में जारी किये गये थे।

वित्त विभाग ने प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा समिति की चार बैठक आयोजित करने के आदेश जारी किये (नवम्बर 2004)। 2013-14 के दौरान सात विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समिति की केवल 10 बैठकें ही आयोजित की गई। आगे, 2013-14 के दौरान वन विभाग द्वारा केवल दो बैठकें ही आयोजित की गई थी।

लेखापरीक्षा, सुशासन के लिए प्रबंधन की सहायक है। सरकार को मामले में ध्यान देकर सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है एवं हानियों/बकाया, अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूलियों को समयबद्ध तरीके से करने हेतु नियंत्रण कार्यविधियां स्थापित कर दी गई है।